न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 141/2024

दया राम पुत्र मल्लू राम जाति बावरी निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

– – **प्रार्थी**

बनाम

1. सूरजा राम पुत्र मल्लु राम जाति बावरी निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगागनर ।
2. केसर राम पुत्र मल्लु राम जाति बावरी निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर । (मृतक)

   2/1. जगदीश पुत्र केसर राम जाति बावरी निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

   2/2. ओमप्रकाश पुत्र केसर राम जाति बावरी निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. हरचंद पुत्र मल्लुराम जाति बावरी निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
4. जता देवी पत्नी गोपी राम पुत्री मल्लु राम जाति बावरी निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
5. तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय श्रीगंगानगर ।
6. भैरा राम पुत्र मल्लु राम जाति बावरी निवासी गांव मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—— **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 144 सी.पी.सी.

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री रमेश कुमार – – प्रार्थी
2. श्री मनोहर लाल सहारण – – अप्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :–24.12.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वाके चक 10 एफ बड़ा मिर्जेवाला का खाता संख्या 46/41 मे 13.13 बीघा नहरी भूमि का आवंटन जीवों के आधार पर हुआ था जिसमें प्रार्थी का 1/7 हिस्सा बनता था। मनु राम द्वारा अपने हिस्सा की कोई वसीयत नहीं की थी तथा वसीयत के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

इंतकाल पारित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष एक अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम की प्रस्तुत की गई थी जो कि श्रीमान जी के निर्णय दिनांक 30.07.2015 के द्वारा वसीयत के आधार पर किये गये इंतकाल को खारिज कर दिया गया है। जिसके विरूद्ध कोई अपील नहीं होने के कारण उक्त आदेश अंतिम हो चुका है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि का विरासतन इंतकाल किया जाना आवश्यक है। राजस्व रिकॉर्ड में 06.02.2006 के पूर्व की स्थिति बहाल किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके चक 10 एफ बड़ा मिर्जेवाला के मुरब्बा नं. 13 के 13 बीघा की पूर्व की स्थिति दिनांक 06.06.2006 की पूर्व स्थिति को बहाल किया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 144 सी. पी.सी. पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उपरोक्त अनवानी प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा इंतकाल दिनांक 06–02–2006 से पूर्व की स्थिति बहाल इस आधार पर किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है कि उक्त इंतकाल श्रीमान न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 30–07–2015 द्वारा खारिज कर दिया गया है। काननून व इंसाफन धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र उसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है जिस न्यायालय का प्रथम बार आदेश जारी किया गया हो चूंकि तहसीलदार द्वारा वसीयत का इंतकाल दर्ज किया गया था जब वह श्रीमान न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है तो पूर्व की स्थिति बहाल करने के लिए श्रीमान तहसीलदार ही अधिकारिता रखते है। श्रीमान न्यायालय की इस बारे में अधिकारिता नही है इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नही होने के कारण यहां दायर नही हो सकता और ना ही इस पर कोई आदेश प्रदान किया जा सकता है। अतः प्रारम्भिक कानूनी ऐतराज पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नही होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावें। अन्य कोई आज्ञा जो न्यायसंगत व मिन अप्रार्थी के पक्ष में हो प्रदान की जावें।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण संख्या 2/2015 को स्वीकार कर नामान्तकरण दिनांक 06.02.2006 को अपने निर्णय दिनांक 30.07.2015 को निरस्त किया जा चुका है। नामान्तकरण दिनांक 06.02.2006 के निरस्त होने से दिनांक 06.02.2006 से पूर्व की स्थिति स्वतः बहाल है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जा चुका है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिंनाक 24.12.2025 को लिखवाया जाकर उभ्यपक्ष को सुनाया गया।

(नयन गोतम) आई.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर